



सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow -226001



संख्या-C-29011/8/2024-Legal-IITR

दिनांक/Date:-09 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum


विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1) (II) के तहत समूह क तथा ख के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2024 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने हेतु।

Sub : Submission of Annual Property Returns by Group 'A' & 'B' Officers for the year 2024 u/r 18(1)(ii) of the Central Civil Services(Conduct) Rules, 1964-furnishing of Certificate-Reg.

समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या संख्या-C-29011/8/2024-Legal-IITR, दिनांक-20 दिसम्बर, 2024 के अनुक्रम यह सूचित किया जाता है कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 (1)(ii) के तहत संस्थान के समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) प्रस्तुत करना होता है।

इस वर्ष से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) को e-HRMS पर प्रस्तुत करना है तथा (एपीआर) को e-HRMS दिनांक 31.01.2025 तक अथवा इससे पूर्व अवश्य रूप में प्रस्तुत कर दें।

इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2011 तथा सी.एस.आई.आर. के परिपत्र दिनांक 15.01.2013 के अनुसार यदि अधिकारी/कर्मचारी अपना वार्षिक संपत्ति विवरण समय पर जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं होता है।



(राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि/Copy to:

1. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव- संस्थान के इंटरनेट पर उपलब्ध कराने हेतु
2. कार्यालय प्रति